न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 107/2019

प्रार्थी

1. बरताराम पुत्र उकाराम
   जाति भील निवासी मोतीसरा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

उपस्थित:–

1. श्री कैलाशपुरी गोस्वामी प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थीण अनुपस्थित

दिनांक :– 22.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए) रा.भू.रा. अधिनियम के अतन्तर्गत प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 709/370 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म गै०मु० आवासीय सरहद मौजा मोतीसरा तहसील सिवाना में आई हुई है। प्रार्थी के उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि के बदिशा पश्चिम में आबादी भूमि मोतीसरा आया हुआ है। प्रार्थी के उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि की बदिशा पश्चिम के नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विप्रार्थी के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा मोतीसरा तहसील सिवाना के खसरा नम्बर 709/370 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म गै०मु० आवासीय का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम की तरफ सीमा निर्धारण नहीं होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता [illegible] दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में खसरा नम्बर 709/370 रकबा [illegible] हैक्टेयर किस्म गै०मु० आवासीय सरहद मौजा मोतीसरा तहसील सिवाना [illegible] भूमि के संबंध में उक्त खसरे का सही माप कर सही पैमाईश कर [illegible] सही हद स्पष्ट कर [illegible] दिशा की ओर उक्त खसरा की सीमा के आर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested